रजिस्ट्री सं. डी. (टी. एन.)-73 REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 1984/भाद्र 10, 1906
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 1984/BHADRA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1984

का. नि. आ. 175.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सैनिक अकादमी (स्थापन अधिकारी) भर्ती नियम, 1975 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में स्थापन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सैनिक अकादमी (स्थापन अधिकारी) भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

Asstt. Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

8

Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note : 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

Knowledge of Government rules and regulations.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consuled in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
Pomotion/transfer on deputation : 1. Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent; or (iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 425-800 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. 2. The departmental Office Superintendent Grade I with 3 years regular service in the grade failing which office superintendent Grade I with 8 years' combined regular service in the grades of Office Superintendent Grade I and Office Superintendent Grade II will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Joint Secretary(G)—Chairman. 2. Chief Administrative Officer—Member. 3. Deputy Director of Military Training—Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Services Commission shall be held.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[File No. 77556/GS/MT-7]
M. C. JUNEJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1984

का. नि. आ. 176—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा संशोधन नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 के नियम 8 में, (क) उपनियम (2) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) मूल्यांकन बोर्डों का एक वर्ष में कम से कम एक बार या ऐसे अंतरालों पर संयोजन किया जाएगा जो आयोग के परामर्श से महानिदेशक द्वारा विहित किए जाएं।"

(ख) उप नियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा; अर्थात् :—

(ख) "ऐसे सभी अधिकारी जिन्होंने अपनी श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन के पात्र होंगे। परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी भी जिन्होंने किसी श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा अर्जित सभी रिपोर्टें "उत्कृष्ट" हैं और ऐसे अधिकारी भी जिन्होंने किसी श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा की है और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा अर्जित सभी रिपोर्टें "अतिउत्तम" हैं अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन के पात्र होंगे।

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

(3) सेवा को भविष्य में बनाए रखने के लिए नियम 6 के खण्ड (2) से (6) विनिर्दिष्ट विभिन्न पद्धतियों के अधीन अधिकारियों का

Attested
[signature] 4/4/07

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

चयन केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के सिवाए आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

नियम (6) के खण्ड (2) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा चयन साक्षात्कार या लिखित परीक्षण या दोनों द्वारा किया जाएगा, और अभ्यर्थी अनुसूची III के खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट आयु सीमा के बीच के होंगे ।

इस उपनियम में उल्लिखित पद्धतियों के अधीन सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव मोटे तौर पर वे होंगे जो अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है परन्तु यह कि अनुसूची III के खण्ड (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आयु सीमा नियम 6 के खण्ड (I) और (3) से (6) के अधीन उल्लिखित पद्धतियों द्वारा किए गए चयन को लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से महानिदेशक द्वारा विहित किया जाएगा ।

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(4) नियम 6 के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को आरम्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसे महानिदेशक के विवेकानुसार बढ़ाया या कम किया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाने या कम करने के प्रस्ताव की दशा में महानिदेशक उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा और ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना संबंधित अधिकारियों को देगा । प्रति नियुक्ति की अधिकतम अवधि जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पद पर नियुक्ति की अवधि है पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । तथापि प्रतिनियुक्ति भत्ता केवल प्रथम चार वर्षों के लिए ग्राह्य होगा; "

(ङ) उप नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:

"(5) नियम 6 के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट पद्धति के द्वारा संविदा पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को साधारणतया 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा । तथापि वे एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । संविदा की अवधि महानिदेशक के विवेकानुसार बढ़ाई या कम की जा सकती है । संविदा की अवधि को बढ़ाने या कम करने के प्रस्ताव की दशा में महानिदेशक उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा और ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना संबंधित अधिकारी को देगा । 6 वर्ष के अंत में संविदा का नवीकरण किया जा सकेगा ।"

भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 4 में का॰नि॰भा॰ 8 तारीख 30 दिसम्बर 1978 द्वारा प्रकाशित रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम का॰नि॰ आ॰ 307 तारीख 10 अक्तूबर 1980, का. नि. आ. 196 तारीख 2 अगस्त 1982 और का. नि. आ. 159 तारीख 5 मई, 1983 द्वारा संशोधित किए गए हैं ।

[सं. 10358/कार्मिक/आर डी-21(डी)/3612/डी (आर एण्ड डी)]

बी॰ एल॰ मथुरिया, निदेशक (आर एण्ड डी)

New Delhi, the 7th August, 1984

S. R. O. 176 :— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes he following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, in rule 8,

(a) For clause (a) of sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(a) Assessment Boards shall be convened at least once a year or at such intervals as may be prescribed by the Director General in consultation with the Commission."

(b) for clause (d) of sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(d) All officers who have completed five years regular Service in the grade shall be eligible for assessment for promotion to the next higher grade provided that those who have rendered 'three years' regular service in the grade and all the reports earned by them during this period are 'Outstanding' and those who have rendered 'four years' regular service in the grade and all the reports earned by them during this period are "Very Good' shall also eligible for assessment for promotion to the next higher grade."

(c) for sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) Selection of officers under the different methods specified in clauses (2) to (6) of rule 6, for future maintenance of service shall be in consultation with the Commission except when appointing a Central Government Group 'A' officer on deputation. Selection by direct recruitment under clause (2) of rule 6, shall be by interview or written test or both and the candidates shall be within the age limit as specified under column (5) of Schedule III. The educatioal qualifications and experience for appointment to various posts in the service under the methods mentioned in this sub-rule shall be broadly as specified in Schedule III :

Provided that the age limit specified under column (5) of Schedule III shall not apply to Selection by methods mentioned under clause (1) and (3) to (6) of rule 6 :

Provided further that the specific educational qualifications and experience reguired for different posts shall be prescribed by the Director General on each occasion in consultation with the Commission."

(d) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) Officers appointed on deputation by the method specified in clause (4) of the rule 6 shall be initially appointed for a period of two years which may be extended or curtailed at the discretion of the Director General. In case where it is proposed to extend or curtail the period of deputation, the Director General shall record the reasons there for in writing and give notice in writing of his intention so to do to the concerned officers. The maximum period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceeding an appointment in the same organisation/ department shall not exceed five years. However, deputation allowance shall be admissible only for the first four years of deputation.

(e) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) Officers appointed on contract by the method specified in clause (4) of rule 6 shall ordinarily be appointed for a period of six years. They shall, however, be on probation for a period of one year. The period of contract may be extended or curtailed at the discretion of the Director General. In case where it is proposed to extend or curtail the period of contract, the Director General shall record the reasons therefor in writing and give notice in writing of his intention so to do to the concerned officer. The period of contract may be renewed at the end of six years."

Attested

[signature] 21/2/10

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

Note.—The Defence Research and Development Service Rules, published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated 30th December, 1978 have been amended vide S.R.O. 307, dated 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated 2nd August, 1982 and S.R.O. 159, dated 5th May, 1983.

[No. 10358/Pers/RD-21(c)/3612D (R&D)]
B. L. MATHURIA, Director (R&D)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1984

का. नि. आ. 177:— केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करती है :

1. महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर
2. रक्षा उत्पादन विभाग (नि. म. नि.)
(क) निरीक्षण नियंत्रणालय (विशेष वाहन), देहू रोड
(ख) शस्त्र उपस्कर अतिरिक्त पुर्जों का मुख्य निरीक्षणालय, बंबई
(ग) धातु निरीक्षणालय, अम्बरनाथ
(घ) सैन्य विस्फोटक निरीक्षणालय, (अ. वि. फै.) किरकी
(ङ) युद्धपोत उपस्कर का मुख्य निरीक्षणालय, बंबई
(च) मुख्य निरीक्षणालय (लघु शस्त्र), इच्छापुर
(छ) उत्पादन तथा निरीक्षण स्थापना (नौसेना), कलकत्ता
(ज) इलेक्ट्रानिकी निराक्षणालय, नई दिल्ली।
3. रक्षा भूमि तथा छावनी महानिदेशालय
(क) रक्षा सम्पदा अधिकारी, जालन्धर छावनी
(ख) छावनी अधिशासी अधिकारी, बेलगाम
4. तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)
(क) मुख्य निवासी निरीक्षक का कार्यालय, हैदराबाद

[फा. सं. 1 (1) / 83 डी-हिन्दी (1)]
अनुग्रह नारायण तिवारी, निदेशक, योजना (1)

New Delhi, the 10th August, 1984

S.R.O. 177.—In pursuance of sub-rule 4 of the Rule 10 of the Official Language (use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Director General, National Cadet Corps.
2. Department of Defence Production (Director General of Inspection).
(a) Controllerate of Inspection (Special Vehicle) Dehu Road.
(b) Chief Inspectorate of Weapons Equipment/Spares, Bombay.
(c) Inspectorate of Metal, Ambarnath.
(d) Military Explosives Controllerate of Inspection, Kirkee.
(e) The Chief Inspector Warship, Equipment, Bombay.
(f) Chief Controllerate of Inspector (Small Arms), Ishapur.
(g) Production & Inspection Establishment (Naval), Calcutta.
(h) Inspectorate of Electronics, New Delhi.
3. Directorate of Military Lands & Cantonment.
(a) Defence Estate Officer, Jullunder Cantt.
(h) Inspectorate of Electronics, New Delhi.
4. Directorate of Technical Development & Production (Air).
(a) Chief Resident Inspector, Hyderabad.

[F. No. 1(1)/83-D(Hindi-I)]
A. N. TIWARI, Director (Planning)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1984

का. नि. आ. 178.—केन्द्रीय सरकार, तट रक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तट रक्षक में कमांडेन्ट (विधि अधिकारी, ज्येष्ठ श्रेणी) और उप कमांडेन्ट (विधि अधिकारी कनिष्ट श्रेणी) और उप कमांडेन्ट के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तट रक्षक विधि अधिकारी भर्ती नियम, 1984 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं आदि:— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :— वह व्यक्ति :—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54